छत्तीसगढ़ सूचना आयोग, रायपुर

अपील प्रकरण क्रमांक 63/2006

डॉ सत्यभामा आडिल,
प्राध्यापक,
हरगौरी कुंज, एम.आई.जी.—5,
सेक्टर—1, शंकर नगर,
रायपुर (छत्तीसगढ़) .... **अपीलार्थी**

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी,
अपर संचालक,
आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय,
रायपुर (छत्तीसगढ़) .... **प्रतिअपीलार्थी**

:: आदेश ::
(दिनांक 30 नवम्बर 2006)

श्रीमती सत्यभामा आडिल, निवासी शंकर नगर, रायपुर के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा—19 (3) के अन्तर्गत छ.ग. सूचना आयोग को द्वितीय अपील प्रस्तुत की।

2/ अपीलार्थी के द्वारा अपने अपील आवेदन पत्र में उल्लेख किया गया है कि उनके द्वारा सूचना अधिकारी, उच्च शिक्षा संचालनालय को सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आवेदन पत्र दिनांक 26.11.2005 प्रस्तुत किया गया था जिसके अनुसार उनकी पिछले पांच वर्षो की गोपनीय चरित्रावली की प्रति उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया था। उन्हें निर्धारित अवधि में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई। अपीलार्थी के द्वारा प्रथम अपील उच्च शिक्षा आयुक्त को दिनांक 27.01.2006 को की गई किन्तु अपीलीय अधिकारी के द्वारा निर्धारित अवधि में आदेश पारित नहीं किया गया।

3/ आयोग के द्वारा जन सूचना अधिकारी, उच्च शिक्षा संचालनालय को नोटिस जारी किया गया। चूंकि निर्धारित अवधि में अपीलार्थी को जन सूचना अधिकारी के द्वारा जानकारी नहीं दी गई थी, अतः अधिनियम की धारा 20 (1) के अंतर्गत आयोग के द्वारा जन सूचना अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया कि निर्धारित अवधि में जानकारी न देने के फलस्वरूप उनके विरूद्ध रू. 10,000/— का अर्थदण्ड क्यों न आरोपित किया जावे।

4/ जन सूचना अधिकारी डॉ युगल भारती, अपर संचालक, उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा नोटिस का जवाब दिया गया, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया कि गोपनीय चरित्रावली की प्रति सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार नहीं दी जा सकती। आयोग के द्वारा दोनों पक्षों को सुना गया। प्रकरण से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी ने दिनांक 26.11.2005 को आवेदन पत्र दिया था उसे पत्र दिनांक 29.04.2006 से सूचित

किया गया कि उन्हें गोपनीय चरित्रावली की प्रति दिया जाना संभव नहीं है। अपीलार्थी के द्वारा यह तर्क दिया गया कि सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा गोपनीय चरित्रावली न देने का परिपत्र दिनांक 08.02.2006 को जारी किया गया था। आवेदन पत्र देने के एवं अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित अवधि में सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र प्रभावशील नहीं था। इस अवधि में जन सूचना अधिकारी के द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। अतः अपीलकर्ता ने मांग की कि उनके विरूद्ध अर्थदण्ड आरोपित किया जावे। प्रतिअपीलार्थी जन सूचना अधिकारी के द्वारा बतलाया गया कि अपीलार्थी ने आवेदन शुल्क जमा नहीं किया था। अपीलार्थी ने बतलाया कि यदि आवेदन शुल्क जमा नहीं था तो जन सूचना अधिकारी को निर्धारित अवधि में आवेदन शुल्क अथवा अभिलेख शुल्क जमा करने के लिए अपीलार्थी को सूचित करना चाहिए था। अपीलार्थी को आवेदन पत्र शुल्क के लिए नोटिस दिया जाना नहीं पाया जाता।

5/ प्रकरण से स्पष्ट है कि जन सूचना अधिकारी के द्वारा निर्धारित अवधि में अपीलार्थी को वांछित जानकारी उपलब्ध नहीं कराई तथा न ही वांछित जानकारी के संबंध में कोई पत्र व्यवहार किया। यदि अपीलार्थी ने आवेदन शुल्क नहीं दिया था तो जन सूचना अधिकारी को उन्हें निर्धारित अवधि में आवेदन शुल्क जमा करने के लिए सूचित किया जाना चाहिए था। जन सूचना अधिकारी के द्वारा मौखिक रूप से तर्क दिया गया कि उनके द्वारा वांछित जानकारी उपलब्ध नहीं कराने में कोई दुर्भावना नहीं थी। प्रकरण से भी यह स्पष्ट है कि जन सूचना अधिकारी के द्वारा जानबुझकर अथवा द्वेषवश निर्धारित अवधि में गोपनीय चरित्रावली की प्रति नहीं दिये जाने का प्रमाण नहीं है। अतः जन सूचना अधिकारी श्री युगल भारती के विरूद्ध अर्थदण्ड आरोपित किये जाने का औचित्य प्रतीत नहीं होता। उनके विरूद्ध रू. 10,000/– के अर्थदण्ड की शास्ति का कारण बताओ नोटिस निरस्त किया जाता है। उन्हें सचेत किया जाता है कि वे भविष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन कर पालन करें। चूंकि गोपनीय चरित्रावली को विशाल जनहित में प्रकटन करना धारा–8 सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत उचित नहीं है, अतः उक्त गोपनीय चरित्रावली की प्रति अपीलार्थी को अब दिये जाने की आवश्यकता नहीं है। अपीलार्थी सेवानिवृत्त हो चुकी हैं। उसने गोपनीय चरित्रावली की प्रतियां समय पर पदोन्नति न होने के कारण वास्तविक स्थिति ज्ञात करने के लिए मांग की थी। समय पर उसे जानकारी न मिलने के फलस्वरूप वह अपनी पदोन्नति न किये जाने के विरूद्ध अभ्यावेदन न दे सकी तथा सेवानिवृत्त हो गईं। समय पर जानकारी न मिलने के कारण उसे मानसिक एवं आर्थिक क्षति हुई है। अतः सूचना का अधिकार अधिनियम 19 (8)(ख) के अंतर्गत आदेश दिया जाता है कि आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय के द्वारा अपीलार्थी को रू. 500/– की क्षतिपूर्ति प्रदान की जावे।

6/ उपरोक्त निर्देशों सहित अपीलार्थी की यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

हस्ता0/– 30–11–2006

(ए. के. विजयवर्गीय)

राज्य मुख्य सूचना आयुक्त